न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद

क्रमांक –2021/94 दिनांक– 28/10/21

वास्ते– पटवारी हलका बोरीनाकला

विषय– मि.न. 82/15 इजराय की पालना बाबत।

उनवान– हेमराज/बाबूलाल

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में जेरकार उक्त प्रकरण में निर्णय डिक्री की पालना आपेक्षित है, जो कि आप द्वारा अभी तक भी नहीं भिजवाई गई है। जिसके अभाव में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

अतः आप उक्त प्रकरण में पालना रिपोर्ट मय संबंधित रेकार्ड सहित अविलम्ब हो जरिये तहसील अन्दर 15 योम में आवश्यक रूप से भिजवाने की सुनिश्चितता करें। पालना रिपोर्ट नियत समय अवधि में प्राप्त नहीं होने पर आपके विरूद्ध विभागिय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

क्रमांक–/2021/94 दिनांक– 28/10/21

प्रतिलिपि–सूचनार्थ/पालनार्थ

1 तहसीलदार सांगोद/नायब तहसीलदार कनवास को भेजकर लेख है कि वांछित पालना रिपोर्ट नियत अवधि में कराई जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

108/24

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

दिनांक- 16/03/23

क्रमांक / LR / 2023 / 805

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सांगोद।

विषयः— न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0 82/2015 उनवान हेमराज पु. सूरजमल / बाबूलाल में जारी डिक्री दिनांक. 06/10/16 की पालना में ग्राम ~~धोरानीकला~~ कमलमुखा में नामान्तरकरण सं. ~~धोरानीकला~~ कमलमुखा - 619 378 दिनांक 27/4/23 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी है। नकल जमाबंदी संलग्न है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू0 अभि0)
तहसील सांगोद जिला कोटा